

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

नंड नागरणलिका अधिनियम 2011 की धारा 426 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कठिका 7.1 के तहत भवन प्लान की रवैकृति।

परमिट संख्या— ५४ / २०१३

दिनांक २१.८.२०१३

संख्या ८

- (1) श्रीमति— परिवन्दर कौर पटि
- (2) श्री गोरख नाथ सिंह
- (3) श्री सुभाष सिंह पिंडा

P. A. H— श्री निर्मल श्रीवास्तव

मानगो

प्लॉट सं-८४०, खाता सं-६४५ भौजा-पारझीह, वार्ड सं-०८ पर भवन निर्माण हुआ आपके हारा दिवे या आदेश के आलोक में प्रावासीय भवन Basement (Parking) + Ground Floor (Parking Nos. Shop) + 4th Floor Height- 14.94 मीटर कुल इकाई -१८ अद्वा आवासीय प्लॉट तथा ०३ अद्वा शॉप के आवासीय भवन प्लान की रवैकृति निम्न संख्या ०३ की जारी है—

१. आवेदक हारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की रवैकृति रद्द करने होंगे।
२. स्लोकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिवर्तनों में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत स्लोकृत नहीं हो जायेगी।
३. निर्माण के गुणवत्ता आरखण्ड लोक निर्माण विभाग/मारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होंगी। निर्माण कर्ता एवं मरम्मान का सही रूपाकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञाप्रिधारी अधियता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी।
४. खुण्ड के सामने चहारदियारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेयमेन्ट का निर्माण तथा ऐड लगाने का जाये अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
५. निर्माण कार्य औं आरम्भ होने की सूचना मानगो अन्दो-सॉ कार्यालय को देनी होगी तथा 'लैथ/भूमि तल पर काये जाने के पश्चात् इसकी जीव (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
६. निर्माणकर्ता को अपार्टमेंट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था संवय करनी होगी।
७. निर्माणकर्ता को निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विस्तृत आपूर्ति की तैकील्यक व्यवस्था के रूप में निर्माण एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त धमता का जेनरेटर लगाना होगा।
८. प्रत्येक तल पर समुचित धमता का अभिन्नशामक यंत्र लगाना होगा। यदि अभिन्न शामक विभाग हारा दी गयी जाता है, तो उसका पालन करना होगा।
९. Rain Water Harvesting के साथ-साथ Ground Water Recharging तथा Waste Water Recycling का प्राकृतिक संरोक्षण करना होगा।
१०. भवन निर्माण में ५० प्रतिशत फ्लाई एश ब्रिक्स का प्रयोग करना होगा।
११. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अन्दो-सॉ को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किया जिन भवन में Occupancy नहीं ही जा सकेगी।
१२. मानगो विलिंग बाई लैंज 2007 एवं आरखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 में वर्णित अन्य सभी प्राकृतिक का गलत होगा।
१३. भवन निर्माण के दौरान मानगो अन्दो-सॉ हारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
१४. समन्वय न्यायालय हारा रोक लगाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत गहन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
१५. निर्माण रथल पर एक गोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं लैथ/भूमि, रक्काया, स्लोकृत भवन प्लान के परमिट संख्या, कुल स्लोकृत तल, एवं कुल स्लोकृत प्लैटेस आदि का विवरण टेंडर रूप साथ ही क्रेटा को स्लोकृत भवन प्लान की अग्रिमागति प्रति उपलब्ध करानी होगी।
१६. भवन में समुचित धमता का तडित चालक लगाना अनिवार्य है।
१७. भवन प्लान की स्लोकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञाप्रिधारी अधियता के असमर्त आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
१८. परमिट निर्माण हेतु निर्गत विधि से मात्र तीन वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगी।

१-५
राहायक अधियता
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
जमशेदपुर।

विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
जमशेदपुर।